अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
	न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा **भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 105/2011** दिनेश प्रसाद साहा — अपीलार्थी वनाम अवध नारायण साहा — रेस्पोण्डेन्ट **–::आदेश::–** प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज, द्वारा पारित आदेश दिनांकः 13.08.2011ई0 अन्दर भूमि विवाद वाद संख्याः 57/2010–11 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट के दायर किया गया है। वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलाकन किया। प्रस्तुत अपील वाद में मौजाः बिहारीगंज, थानाः 231, अंचल–बिहारीगंज, खाताः 125, खेसराः 460, रकबाः 00.15 डी0 में से 03 डी0 दक्षिण से विवादित भूमि है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि अंदर मौजा– बिहारीगंज पुराना खाता नं0 142, पुराना खेसरा नं0 414, रकबाः 21 डीसमल वो पुराना खेसरा नं0 –415 रकबा 35 डी0 पुराने सर्वे खतियान में नाम से लालजीी साह पे0 मिश्री साह दर्ज था जो कि अपीलार्थी/वादी के पूर्वज थे। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि हाल सर्वे में पुराना खेसरा नं0 414 वो 415 से हाल सर्वे में नया खेसरा 461 रकबा 54 डीसमल बना है जिसका नया खाता नं0 60 है जिसका खाता मुताबिक हकीयत वो दखली के अपीलार्थी के पिता कुँजी साह के नाम से दर्ज हुआ है। लेकिन नया सर्वे नक्शा मात्र 53 डीसमल का बना है जो पुराना सर्वे नक्शा पुराना खेसरा नं0 414 वो 415 के संयुक्त रकबा 56 डी0 से 3 डीसमल कम होता है वो 414 वो 415 का 3 डीसमल रकबा नया खेसरा नं0 460 में मिल गया है जिसका खाता नाजायज से चमरू साह विपक्षी के पिता के नाम से अंदर नया खाता 125 दर्ज हो गया है।	

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि पुराना खेसरा नं0 412 का रकबा 04 डी0 तथा पुराना खेसरा नं0 413 का रकबा 10 डीसमल कुल 14 डी0 विपक्षी के पूर्वज मुनसी साह बगैरह के नाम से दर्ज है वो उक्त दोनों पुराना खेसरा 412 वो 413 का रकबा पुराना खतियान एवं पुराना नक्शा के आधार पर भी 14 डीसमल होता है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं हाल सर्वे में पुराना खेसरा नं0 412 वो 413 से नया खेसरा नं0 460 रकबा 17 डीसमल कायम हुआ है जबकि पुराना खतियान एवं नक्शा के अनुसार रकबा 14 डीसमल ही होता है वो उक्त नया खेसरा नं0 –460 में 3 डीसमल भूमि अपीलार्थी/वादी का पुराना खेसरा 414 वो 415 का मिल गया है जिसका खाता नाजायज रूप से चमरू साह विपक्षी के पिता के नाम दर्ज हो गया है।

रेस्पोण्डेन्ट्स के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी/वादी प्रश्नगत विवादी जमीन जिसमें उनका दावा विवादी भूमि पर राईट टाईटिल वो दखल कब्जा घोषित करने के लिए लाया गया है अतएवं अपीलार्थी/वादी का दावा अन्दर भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के इअन्तग्रत इन्टरटेनेबुल वो भी मेनटेनेबुल नहीं है बतलाते हैं।

रेस्पोण्डेन्ट्स के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी/वादी ने हाल सर्वे खतियान जिसका फाईनल पब्लिकेशन 1977 ई0 में हुआ 35 वर्षो के बाद उसके निश्वत दावा लाया गया है जबकि मुताबिक कानून के सर्वे को नाजायज करने के लिए फाईनल पब्लिकेशन से तीन वर्श के अन्दर ही दावा लोने का अधिकार है। अतः अपीलान्ट का मोकदमा टाईम वार्ड है वो इसी आधार पर खारीज योग्य है।

रेस्पोण्डेन्ट्स के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी /वादी ने गलत दावा लाया है कि विवादी जमीन नया खाता –125 नया खेसरा –460 में 3 डी0 जमीन पुराना खेसरा –414 वो 415 का शामिल हो गया है वो विवादी भूमि नया खेसरा –460 पुराना खेसरा –412, 413, एवं 423/1134 से बना है।

रेस्पोण्डेन्ट्स के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि पुराना खेसरा –412 का कुल रकबा 4 डी0 वो पुराना खेसरा 413 का कुल रकबा 10 डी0 वो पुराना खेसरा 423/1134 का रकबा 6 डी0 यानि कुल 20 डी0 जमीन तीनों खेसरा मिलाकर है जो जमीन रेस्पोण्डेन्ट के पूर्वज मुंसी साह वो कुंजी लाल साह पिता ठाकुर चन्द साह वो कुंजी लाल साह पिता फागु साह के नाम से अन्दर पुराना सरवे खतियान दर्ज है बतलाते हैं।

रेस्पोण्डेन्ट्स के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि वाला साह को एक लड़का चमरू साह हुए वो चमरू साह के लड़के रेस्पोण्डेन्ट हैं इस तरह विवादी जमीन रेस्पोण्डेन्ट का खतियानी मरौसी जमीन है वो मौजा बिहारीगंज में *हाल रिभिजनल सर्वे 1964–65 ई0 शुरू हुई वो जिस कदर पुराना खेसरा–412, 413, वो 423/1134 कुल 20 डी0 जमीन रेस्पोण्डेन्ट्स के पूर्वज को हासिल रहता आया उसका हाल सरवे में नया खेसरा– 460 बना वो जिस कदर रेस्पोण्डेन्ट्स का घर मकान रहता आया वह हाल सरवे खतियान में मकान मय सहन दर्ज हुआ वो हाल सरवे में खाता चतरू साह पिता वाला साह वो कुंजी लाल साह पिता फागु साह वो सदानन्द साह, दयानन्द साह वो अवध नारायण साह पिता चमरू साह के नाम से खाता खुला वो हाल सरवे 1977 ई0 में फाईनल हो चुका है।*

रेस्पोण्डेन्ट्स के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि पुराना सर्वे खतियान वो भी हाल सरवे खतियान में स्पष्ट है कि विवादी भूमि रेस्पोण्डेन्ट्स के पूर्वज के समय से यानि 1902–03 ई0 से हींवासडीह का जमीन रहता आया जिसमें हमलोग का मकान सहन दरवाजा रहता आया वो हमलोग पुराने सरवे के समय से आज तक दखलकार आ रहे हैं।

रेस्पोण्डेन्ट्स के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट के पूर्व कुंजी लाल साह वो चमरू साह वो मुंशी साह के वारसान के बीच कुल जगह जमीन का बँटवारा आर धुर देकर हुआ जिसका रजिष्ट्री बँटवारा दस्तावेज 08.12.56 को बना वो उसी मुताबिक उभय पक्ष अपने अपने हिस्से पर अलग अलग दखलकार हुए वो रहते चले आ रहे हैं वो पीछे चलकर चमरू साह के लड़के रेस्पोण्डेन्ट्स अवध नारायण साह एवं दयानन्द साह के बीच भी रजिष्ट्री बँटवारा 12.05.94 को हुआ जिसमें पुराना खेसरा 412 ,413, 423/1134 नया खेसरा –460 रकबा 2,1/2 डी0 खास हिस्सा में रेस्पोण्डेन्ट अवध नारायण साह को प्राप्त हुआ जिस पर रेस्पोण्डेन्ट्स का घर मकान बना हुआ है अतलाते हैं।

रेस्पोण्डेन्ट्स के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि विवादी जमीन के निश्वत जिस कदर रेस्पोण्डेन्ट्स को हिस्सा मिला उसका दाखिल खारीज होकर जमाबन्दी नं0 2077 रेस्पोण्डेन्ट्स अवध नारायण साह के नाम से चलता आ रहा है वो बिहार सरकार को माल गुजारी अदाय कर रसीद रेन्टबील हासिल करते आ रहे हैं।

रेस्पोण्डेन्ट्स के पूर्वज पुराना खेसरा 423/1134 कुल रकबा 6 डी0 में से 3,1/2 डी0 जमीन बिकी पूर्व में ही पूर्णियॉ गोला वाले को बिकी किए वो उसके बाद पुराना खेसरा 412, 413 एवं 423/1134 में रेस्पोण्डेन्ट्स सभी फरीक को 16,1/2 डी0 जमीन बचा रहा लेकिन हाल सर्वे में उपरोक्त पुराना खेसरा –460 मात्र 15 डी0 का बना है। अतः 1,1/2 हजमीन का खाता रेस्पोण्डेन्ट के पिता एवं अन्य फरीक के नाम से खुला है अतः अपीलार्थी का दावा नया खेसरा –460 पर किया जाना बिल्कुल गलत है बतलाते है। आगे यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट को मात्र 2.1/2 डी0 जमीन पुराना खेसरा –412, 413 वो 423/1134 में बँटवारा से मिला जिस पर रेस्पोण्डेन्ट का घर मकान कायम है इसके अलावे रेस्पोण्डेन्ट को कोई दूसरा वासडीह नहीं है वो अपीलार्थी/वादी को रेस्पोण्डेन्ट्स की जमीन पर नाजायज दावा करने का कुछ भी अधिकार नहीं है। अपीलार्थी का यह कहना कि नया खेसरा –461 पुराना खेसरा –414 वो 415 से बना है इससे इस मोकदमा में कोई झंझट नहीं है चूँकि नया खेसरा 461 विवाद में नहीं है बल्कि अपीलार्थी का दावा नया खेसरा –460 पर है बतलाते हैं।

निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि *"अंचल अमीन के नापी प्रतिवेदन से स्पश्ट है कि वादी ही नया खेसरा 460 के मध्य में 10 कड़ी एवं सड़क माथा से 03 कड़ी अवैध रूप से कब्जा किये हुए हैं।"*

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकन किया पाया कि अपीलार्थी/वादी अपना दावा इस न्यायालय में साबित करने में असफल रहे हैं। अस्तु अपील खारिज। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।
लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल,सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल,सहरसा